मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2012-आश्विन 20, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7 रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003

दिनांक 01 अक्टूबर, 2012

प्ररूप-उन्नीस

[नियम 19 (5) देखिये]

[धारा-50 की उप-धारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना]

वि. क्र. 171.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23 सन्-1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना अर्थात योजना क्रमांक 174 क्षेत्र ग्राम लसूडियामोरी, अरंडिया, मायाखेड़ी, तलावलीचांदा के लिए धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा अंतिमरूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं:—

01. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7 रेसकोर्स रोड, इन्दौर.

02. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.

योजना क्रमांक 174 (ट्रांसपोर्ट हब) में निम्नलिखित ग्रामों एवं खसरा नम्बरों की भूमियॉ सम्मिलित हैं.—

1. ग्राम लसूडियामोरी के खसरा नंबर:—196 पार्ट, 197 पार्ट, 198 पार्ट, 199 पार्ट, 200 पार्ट, 208 पार्ट, 209 पार्ट, 210 पार्ट, 211, 212, 213, 214, 215 पार्ट, 216 पार्ट, 217,218,219 पार्ट, 220 पार्ट, 221 पार्ट, 222 पार्ट, 223 पार्ट, 224 पार्ट, 225 पार्ट, 226 पार्ट, 227 पार्ट, 228, 229,230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 पार्ट, 239 पार्ट, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 पार्ट, 253 पार्ट, 254 पार्ट, 255, 256 पार्ट, 257 पार्ट, 258 पार्ट, 259 पार्ट, 260 पार्ट, 277 पार्ट, 279 पार्ट, 280 पार्ट, 332 पार्ट एवं 207/338 पार्ट.

2. ग्राम अंरडिया के खसरा नंबर:—6 पार्ट, 7 पार्ट, 179 पार्ट, 183 पार्ट, 199 पार्ट, 200 पार्ट.

3. ग्राम मायाखेड़ी के खसरा नंबर:—1 पार्ट, 35 पार्ट.

4. ग्राम तलावलीचांदा के खसरा नंबर:—224 पार्ट, 231 पार्ट, 233 पार्ट, 234 पार्ट, 235, 236 पार्ट.

(162-बी.)

दिनांक 01 अक्टूबर, 2012

प्ररूप-उन्नीस

[नियम 19 (5) देखिये]

[धारा -50 की उप धारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना]

वि. क्र. 172.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23 सन्-1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना अर्थात योजना क्रमांक 175 क्षेत्र ग्राम निपानिया, कनाडिया, टिगरियाराव एवं बिचौली हप्सी के लिए धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा अंतिमरूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन के लिए निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं:—

01. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7 रेसकोर्स रोड, इन्दौर.

02. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.

योजना क्रमांक 175 में निम्नलिखित ग्रामों एवं खसरा नम्बरों की भूमियॉ सम्मिलित हैं.—

1. ग्राम निपानिया के खसरा नंबर:—260 पार्ट, 265 पार्ट, 284 पार्ट, 285 पार्ट, 288 पार्ट, 289 पार्ट, 291 पार्ट, 292 पार्ट, 293, 294, 295, 296 पार्ट, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 एवं 309.

2. ग्राम कनाडिया के खसरा नंबर:—1, 2, 3 पार्ट, 4, 5, 6 पार्ट, 7, 8, 9 पार्ट, 10, 27 पार्ट, 28, 29, 30, 31 पार्ट, 33 पार्ट, 34 पार्ट, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 पार्ट, 61, 62 पार्ट, 63 पार्ट, 64 पार्ट, 65 पार्ट, 86 पार्ट, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 पार्ट, 105 पार्ट, 106, 107 पार्ट, 108, 110, 111, 112, 113, 114 पार्ट, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126 पार्ट, 148 पार्ट, 149,150 पार्ट, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 पार्ट, 158, 159, 160 पार्ट, 172 पार्ट, 182 पार्ट, 183 पार्ट, 184 पार्ट, 185, 186, 187, 188, 189, 190 पार्ट, 191 पार्ट, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 पार्ट, 201, 202, 203, 204, 205, 206 पार्ट, 207 पार्ट, 208, 209, 210, 212, 213 पार्ट, 214, 215, 216, 217 पार्ट, 218, 219, 220, 221, 222 पार्ट, 223, 224 पार्ट, 225 पार्ट, 233 पार्ट, 150/1274 पार्ट.

3. ग्राम टिगरियाराव के खसरा नंबर:—1 पार्ट, 2, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6, 7, 9, 10 पार्ट, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पार्ट, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 पार्ट, 37 पार्ट, 39 पार्ट, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 पार्ट, 49 पार्ट, 50 पार्ट, 55 पार्ट, 56 पार्ट, 58 पार्ट, 69 पार्ट, 70 पार्ट, 71 पार्ट, 72 पार्ट.

4. ग्राम बिचोली हप्सी के खसरा नंबर:—1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7, 8, 9, 10, 11 पार्ट, 12 पार्ट, 13, 16 पार्ट, 17, 18, 19 पार्ट, 20 पार्ट, 25, 26, 27, 28 पार्ट, 29 पार्ट, 30 पार्ट, 31 पार्ट, 32 पार्ट, 33 पार्ट, 35, 36 पार्ट, 37, 38 पार्ट, 39 पार्ट, 40 पार्ट, 43 पार्ट, 44 पार्ट, 45 पार्ट, 46 पार्ट, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 पार्ट, 56 पार्ट, 57 पार्ट, 58 पार्ट, 59 पार्ट, 60, 61 पार्ट, 62 पार्ट, 63 पार्ट, 65 पार्ट, 66 पार्ट, 67 पार्ट, 68 पार्ट, 69 पार्ट, 85 पार्ट, 99 पार्ट, 100 पार्ट, 101, 102 पार्ट, 103 पार्ट, 104 पार्ट, 105 पार्ट, 131 पार्ट, 135 पार्ट, 136 पार्ट, 137 पार्ट, 138, 140 पार्ट, 141 पार्ट, 142 पार्ट, 143, 144 पार्ट, 145, 146 पार्ट, 147 पार्ट, 148 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 201 पार्ट, 202,203,204 पार्ट, 205 पार्ट, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 पार्ट, 217 पार्ट, 218 पार्ट, 219, 220 पार्ट, 221 पार्ट, 222 पार्ट, 223 पार्ट, 224, 225, 226, 227, 228, 229 पार्ट, 230, 231, 232, 233 पार्ट, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 पार्ट, 246 पार्ट, 247 पार्ट, 249 पार्ट, 252 पार्ट, 286 पार्ट, 287, 288, 289 पार्ट, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 पार्ट, 297 पार्ट, 298 पार्ट, 299 पार्ट, 300 पार्ट, 326, 327 पार्ट, 328, 329 पार्ट, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 पार्ट, 346 पार्ट, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 पार्ट, 355 पार्ट, 356 पार्ट, 401 पार्ट, 402 पार्ट, 403, 407, 408 पार्ट, 409 पार्ट, 410 पार्ट, 404/461.

दीपक सिंह,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(162-A-बी.)

अन्य सूचनाएं

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म लखमीचन्द एण्ड कम्पनी, सब्जी मण्डी, कैलारस, जिला मुरैना, हाल निवास 79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, ग्वालियर की फर्म की रचना में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को साझेदारी संशोधन निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य लिपिबद्ध किया गया है जो निम्नानुसार है:—

1. भगवती प्रसाद सिंघल पुत्र श्री रामेश्वरदयाल सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
2. शरदचन्द सिंघल पुत्र श्री रामेश्वरदयाल सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
3. राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वरदयाल सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
4. श्रीमती विद्यादेवी सिंघल पत्नी श्री रामेश्वरदयाल सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
5. श्रीमती साधना सिंघल पत्नी श्री भगवती प्रसाद सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
6. श्रीमती मंजू सिंघल पत्नी श्री शरदचन्द सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
7. श्रीमती अनुपमा सिंघल पत्नी श्री पूरनचन्द सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
8. श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

दिनांक 01 अप्रैल, 2004 को उक्त फर्म में निम्न साझेदार थे:—

1. रामेश्वरदयाल गुप्ता पुत्र श्री लखमीचंद सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
2. शरदचन्द सिंघल पुत्र श्री रामेश्वरदयाल सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
3. राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वरदयाल सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
4. श्रीमती विद्यादेवी सिंघल पत्नी श्री रामेश्वरदयाल सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
5. श्रीमती साधना सिंघल पत्नी श्री भगवती प्रसाद सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
6. श्रीमती मंजू सिंघल पत्नी श्री शरदचन्द सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
7. श्रीमती अनुपमा सिंघल पत्नी श्री पूरनचन्द सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).
8. बासुदेव प्रसाद सिंघल पुत्र श्री लखमीचंद सिंघल, निवासी-पुरानी सब्जी मंडी रोड, कैलारस, मुरैना (मध्यप्रदेश).
9. कल्यानचंद दीवान पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद दीवान, निवासी-एम. एस. रोड, सबलगढ़, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश).
10. भगवती प्रसाद सिंघल पुत्र श्री रामेश्वरदयाल सिंघल, निवासी-79, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त फर्म पर किसी का भी कोई ऋण भार हो अथवा उक्त फर्म में कोई भी अपना किसी भी प्रकार का हक या अधिकार रखता हो या कोई जमानत/गारंटी आदि का भार हो वह इस सूचना प्रकाशन से 7 दिवस के अन्दर मयप्रमाण के उपस्थित होकर संपर्क करे एवं अपनी आपत्ति दर्ज करावे. इस सूचना की म्याद समाप्त होने पर उक्त वर्णित फर्म की रचना में परिवर्तन करा लिया जावेगा और इस प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य मानी जावेगी.

प्रेषक :
धर्मेन्द्र श्रीवास्तव,
(एडवोकेट)
एम. एस. रोड, बस स्टेण्ड के पास,
मुरैना (मध्यप्रदेश).

दिनांक—30 अगस्त, 2012
स्थान— मुरैना

(161-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सबा साबिर हुसैन पत्नी साबिर हुसैन, निवासी 103, सिल्वर आर्क प्लाजा, सर्वधर्म, कोलार रोड, भोपाल मैंने अपना नाम सबा हुसैन कर लिया है. भविष्य में मुझे सबा हुसैन के नाम से जाना, पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(सबा साबिर हुसैन)
(SABA SABIR HUSAIN)

नया नाम :
(सबा हुसैन)
(SABA HUSAIN)

(160-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कु. संगीता खर्ते पिता श्री गोपाल खर्ते था, जो अब नाम बदलकर अनिता बड़ोले हो गया है. अत: भविष्य में मुझे अनिता बड़ोले के नाम से जाना एवं पहचाना जावे तथा हमारे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में भी अनिता बड़ोले पति श्री राकेश कुमार बड़ोले अंकित किया जावे.

पुराना नाम :

(संगीता खर्ते)

पिता श्री गोपाल खर्ते
पता—ग्राम पान्या, तहसील अंजड़,
जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश).

नया नाम :

(अनिता बड़ोले)

पति श्री राकेश कुमार बड़ोले,
पता—206, डी 2, डी सेक्टर, पिपलानी,
भेल, भोपाल (मध्यप्रदेश).

(159-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अंकसूची में मेरा नाम गिर्राज किशोर अग्रवाल अंकित है तथा अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर गिर्राज किशोर अग्रवाल के स्थान पर गिर्राज बिंदल कर लिया है जो कि मेरे आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड में अंकित है. अब मैं भविष्य में गिर्राज बिंदल के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा तथा मेरे सभी दस्तावेजों में भी मेरा नाम गिर्राज किशोर अग्रवाल के स्थान पर गिर्राज बिंदल पढ़ा व लिखा जाए.

पुराना नाम :

(गिर्राज किशोर अग्रवाल)

नया नाम :

(गिर्राज बिंदल)

पुत्र स्व. श्री रामकृष्ण बिंदल,
निवासी—एन-पटेल नगर, सिटी सेन्टर,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(158-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व विदित हो कि मेरा पुराना नाम केवल हृदय मोहन था, जिसमें अब सरनेम भार्गव लगाकर हृदय मोहन भार्गव कर लिया है, अब मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता हूं.

पुराना नाम :

(हृदय मोहन)

नया नाम :

(हृदय मोहन भार्गव)

निवासी—3/3, वार्ड नं. 4, श्रद्धा विहार कॉलोनी,
बेहटा, बैरागढ़, भोपाल (मध्यप्रदेश).

(157-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, नीरज कुमार जायसवाल आत्मज श्री नरेश कुमार जायसवाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी—मु. पो. सुकरी (मंगेला), जिला जबलपुर है. यह कि पूर्व में मेरा नाम नीरज था. अब मुझे वर्तमान में नीरज कुमार जायसवाल के नाम से जाना एवं पहचाना जाये एवं समस्त सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों में सुधार किया जाये.

पुराना नाम :

(नीरज)

(Neeraj)

नया नाम :

(नीरज कुमार जायसवाल)

(Neeraj Kumar Jaiswal)

निवासी—मु. पो. सुकरी (मंगेला),
जिला जबलपुर.

(163-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, कु. सुरभि नत्थानी पुत्री श्री अनिल नत्थानी, निवासी—A-88, समाधिया कॉलोनी, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) यह कि मुझ प्रार्थी का जन्म के समय नाम स्वीटी नत्थानी रख लिया था किन्तु अब मैंने अपना नाम स्वीटी नत्थानी के स्थान पर कु. सुरभि नत्थानी रख लिया है.

अत: जो कि मेरे सभी शिक्षिक दस्तावेजों में अंकित है और मुझे भविष्य में भी सुरभि नत्थानी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(स्वीटी नत्थानी)

नया नाम :

(सुरभि नत्थानी)

पुत्री श्री अनिल नत्थानी,
निवासी—A-88, समाधिया कॉलोनी, तारागंज,
लश्कर, ग्वालियर (मध्यप्रेदश).

(164-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, धीरेन्द्र कुमार कौशिक, एस डी ओ बी एस एन एल विष्णु विहार कॉलोनी, छतरपुर (मध्यप्रदेश) का निवासी हूँ. मेरा सही नाम धीरेन्द्र कुमार कौशिक ही है जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, बी एस एन एल कार्यालय की सर्विस बुक एवं समस्त संबंधित प्रपत्रों में भी दर्ज है. मेरी पुत्री कंगन कौशिक की 10वीं की मार्कशीट एवं माइग्रेशन में पिता का नाम धीरेन्द्र कुमार कौशिक के स्थान पर देवेन्द्र कुमार कौशिक अंकित हो गया है. अत: इसे धीरेन्द्र कुमार कौशिक ही पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(देवेन्द्र कुमार कौशिक)

नया नाम :

(धीरेन्द्र कुमार कौशिक)

एस डी ओ बी एस एन एल विष्णु विहार कॉलोनी,
छतरपुर (मध्यप्रदेश).

(165-बी.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पुष्पा निवासिनी छतरपुर घोषित करती हूं कि मेरा सही नाम पुष्पा है, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में लिखा है. शादी के बाद बोला जाने वाला नाम रंजना शर्मा उपनाम है. सही नाम श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री राजेश शर्मा है. शासकीय व अर्द्धशासकीय सभी उपक्रमों में मेरा नाम पुष्पा शर्मा लिखा व पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

(रंजना शर्मा)

नया नाम :

(पुष्पा शर्मा)

पत्नी श्री राजेश शर्मा,
C/o ओम शंकर शर्मा, से. नि. प्राचार्य,
गली नं. विजावर नाका, शांतिनगर कॉलोनी,
छतरपुर (मध्यप्रदेश).

(166-बी.)

नाम परिवर्तन

शादी से पूर्व मेरा नाम, लता मदनानी पुत्री श्री ताराचंद मदनानी था, शादी (दिनांक 30 मई, 2001) के बाद मेरा नाम बदलकर नया नाम श्रीमती विनीता मेहरचंदानी पत्नी श्री गोर्धन कुमार मेहरचंदानी हो गया है, अब मुझे इसी नये नाम विनीता मेहरचंदानी से जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(लता मदनानी)

(Lata Madnani)

नया नाम :

(विनीता मेहरचंदानी)

पता—म. नं. बी-39, पूजा श्री नगर, सी.टी.ओ.,
बैरागढ़, भोपाल (मध्यप्रदेश).

(167-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

दिनांक 20 सितम्बर, 2012

प्रारूप-तृतीय

प्र.क्र. /3 बी-113/2011-2012. (नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष विजय शुक्ला पिता स्व. श्री रामप्रसाद शुक्ला, निवासी—सिन्दीपुरा, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश ने ''श्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज ट्रस्ट, बुरहानपुर'' का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये ''लोक न्यास'' के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज ट्रस्ट, थाना गणपति नाका के सामने, खण्डवा रोड, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.
2.	चल सम्पत्ति	:	निरंक
3.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक

सूरज नागर,
पंजीयक.

(492)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''श्रीमती कमलाबाई प्रजापत पारिवारिक एवं पारमार्थिक न्यास, इन्दौर'' कार्यालय 29, साउथ राजमोहल्ला, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री ओमप्रकाश पिता मोहनलाल प्रजापत, निवासी—29, साउथ राजमोहल्ला, इन्दौर एवं अन्य न्यासीगणों द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''श्रीमती कमलाबाई प्रजापत पारिवारिक एवं पारमार्थिक न्यास, इन्दौर''
पता	:	29, साउथ राजमोहल्ला, इन्दौर, मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,00,000/- (अक्षरी रुपये पाँच लाख मात्र) चेक क्रमांक 019797 आयसीआय बैंक, शाखा राजमोहल्ला, इन्दौर द्वारा प्राप्त राशि.

आज दिनांक 17 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,

(477) रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील इन्दौर (ग्रामीण क्षेत्र), इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

मदर अर्थ एज्युकेशन ट्रस्ट, इन्दौर, मध्यप्रदेश कार्यालय ग्लोबल इण्डियन इन्टरनेशनल स्कूल, एन. एच.-59, ओमनी प्राइड, 7 कि.मी. इन्दौर-अहमदाबाद रोड, ग्राम सिंहासा, तहसील व जिला इन्दौर की ओर से आवेदक श्री शिवन कुट्टी पिता श्री जर्नाधनन नायर, निवासी—ए-9, गणेश पार्क वाडावली सेक्सन, अम्बरनाथ इस्ट ठाणे, मुम्बई-421505 द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	मदर अर्थ एज्युकेशन ट्रस्ट, इन्दौर, मध्यप्रदेश
पता	:	ग्लोबल इण्डियन इन्टरनेशनल स्कूल, एन. एच.-59, ओमनी प्राइड, 7 कि.मी. इन्दौर-अहमदाबाद रोड, ग्राम सिंहासा, तहसील व जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार केवल)

आज दिनांक 03 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विवेक श्रोत्रिय,

(498) रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, धार, जिला धार

धार, दिनांक 27 सितम्बर, 2012

फॉर्म नम्बर-3

[देखिये नियम-4 (2)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (तीस, 1951) की धारा-4 के तहत् न्यास पंजीयन बाबत]

समक्षः—रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, धार, जिला धार.

क्र. 2991/रीडर-1/2012.—चूंकि ''द वे चेरिटेबल ट्रस्ट'' इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुये जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबत् मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है. याद रखें कि ऊपर दिये हुये अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 19 नवम्बर, 2012 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बाबत् कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव वह जवाबदावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह में भेजने की तजवीज करें और मेरे समक्ष दिनांक 19 नवम्बर, 2012 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : ''द वे चेरिटेबल ट्रस्ट''.
2. चल सम्पत्ति : 8,917/- (रुपये आठ हजार नौ सौ सत्रह)
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

(480)

धार, दिनांक 27 सितम्बर, 2012

फॉर्म नम्बर-3

[देखिये नियम-4 (2)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (तीस, 1951) की धारा 4 के तहत् न्यास पंजीयन बाबत्]

समक्षः—रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, धार, जिला धार.

क्र. 2994/रीडर-1/2012.—चूंकि ''श्री साँईं मंदिर संस्थान न्यास (ट्रस्ट), धार'' इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुये जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबत् मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है. याद रखें कि ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 19 नवम्बर, 2012 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बाबत् कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव वह जवाबदावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह में भेजने की तजवीज करें और मेरे समक्ष दिनांक 19 नवम्बर, 2012 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : ''श्री साँईं मंदिर संस्थान न्यास (ट्रस्ट), धार''
2. चल सम्पत्ति :
   1. झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा आनंद चौपाटी, धार में खाता क्रमांक 20130100004003 में जमा रुपये 1,111/- (एक हजार एक सौ ग्यारह).
   2. मंदिर में अचल सम्पत्ति के रूप में वस्तुएं जिनकी कि अनुमानित कीमत रुपये 1,61,000/- (एक लाख इकसठ हजार मात्र).
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

संदीप सोनी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(480-A)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर-बड़ौद, जिला शाजापुर

आगर, दिनांक 01 सितम्बर, 2012

प्र. क्र. 02/बी-113/2011-12.

प्रारूप-4

सर्व-साधारण ग्राम बेटखेडा, तहसील आगर को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नारायणसिह पिता परबतसिह जाति राजपूत अध्यक्ष एवं अन्य ट्रस्टीगण द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, आगर, लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करती हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा, ''श्री बैजनाथधाम अन्न क्षेत्र एवं चेरिटी ट्रस्ट ग्राम-बेटखेडा'', तहसील आगर मालवा, जिला शाजापुर (मध्यप्रदेश) के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत किया गया.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	''श्री बैजनाथधाम अन्न क्षेत्र एवं चेरिटी ट्रस्ट ग्राम-बेटखेडा''.
2.	चल सम्पत्ति	:	राशि रुपये 11,000.00 (भारतीय स्टेट बैंक, आगर में खाता की कार्यवाही प्रचलित है).
3.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक

एकता जायसवाल,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(481)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दतिया

सर्व-साधारण जनता एवं पशु चराने वालों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वृक्षारोपणों/कूपों को दिनांक 1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013 तक के लिये चराई से वर्जित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जो व्यक्ति इन वर्जित क्षेत्रों में पशु चराई करायेगा उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-26 व 33 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दण्डित किया जावेगा.

चराई से वर्जित क्षेत्रों की सूची वर्ष 2012-13

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वृक्षारोपण का नाम	कक्ष क्र.	वर्ष	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(हैक्टर में)
1.	सेंवढ़ा	जरा	P-11	2007-08	107.770
2.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	P-18	2007-08	137.700
3.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	P-21	2007-08	131.170
4.	सेंवढ़ा	बसई मलक	31	2007-08	186.300

1	2	3		4	5	6
						(हैक्टर में)
5.	सेंवढ़ा	बिलासपुर		39	2007-08	66.950
6.	सेंवढ़ा	भरसूला		42	2007-08	47.25
7.	दतिया	चक्र बहादुरपुर		48	2007-08	103.500
8.	दतिया	रिछरा		P-54	2007-08	112.270
9.	दतिया	चौपरा		P-60	2007-08	147.820
10.	दतिया	सेरसा		69	2007-08	53.550
11.	दतिया	लरायटा		P-70	2007-08	58.950
12.	गोराघाट	गोराघाट		93	2007-08	11.170
13.	गोराघाट	हिंडोरा		P-103	2007-08	104.600
14.	दतिया	चौपरा		P-65	2007-08	207.900
15.	दतिया	पलोथर		P-80	2007-08	122.620
16.	दतिया	उदगुवां		P-85	2007-08	112.500
17.	गोराघाट	बड़ोनी		109	2007-08	134.320
18.	गोराघाट	सुर्रन		P-111	2007-08	150.000
19.	गोराघाट	गोरा		R-93	2007-08	75.000
20.	दतिया	अंगूरी बैराज नहर किनारे		राजस्व क्षेत्र	2007-08	2.000
21.	सेंवढ़ा	जरा	कूप क्र.-III	P-5	2008-09	141.07
22.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	कूप क्र.-III	P-9	2008-09	164.92
23.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	कूप क्र.-III	P-24	2008-09	117.67
24.	सेंवढ़ा	गुमानपुरा	कूप क्र.-III	P-1	2008-09	112.72
25.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	कूप क्र.-III	P-10	2008-09	155.70
26.	सेंवढ़ा	जरा	कूप क्र.-III	P-11	2008-09	105.07
27.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	कूप क्र.-III	P-18	2008-09	121.95
28.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	कूप क्र.-III	P-21	2008-09	126.67
29.	सेंवढ़ा	मरसेनी	कूप क्र.-III	32	2008-09	188.35
30.	सेंवढ़ा	बिलासपुर	कूप क्र.-III	40	2008-09	133.29
31.	सेंवढ़ा	भरसूला	कूप क्र.-III	42	2008-09	92.26
32.	दतिया	चक्र बहादुरपुर	कूप क्र.-III	P-49	2008-09	141.30
33.	दतिया	सिरोल	कूप क्र.-III	P-55	2008-09	209.10
34.	दतिया	चौपरा	कूप क्र.-III	P-60	2008-09	164.26
35.	दतिया	सेरसा	कूप क्र.-III	P-71	2008-09	136.35
36.	गोराघाट	गोरा	कूप क्र.-III	93	2008-09	111.60
37.	गोराघाट	हिनोतिया	कूप क्र.-III	P-100	2008-09	110.02
38.	गोराघाट	हिंडोरा	कूप क्र.-III	P-103	2008-09	139.27
39.	दतिया	चौपरा	कूप क्र.-III	P-66	2008-09	135.67
40.	दतिया	पलोथर	कूप क्र.-III	P-80	2008-09	148.51

1	2	3	4	5	6
					(हैक्टर में)
41.	गोराघाट	बड़ोनी कूप क्र.-III	108/110	2008-09	71.33
42.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-21	2009-10	64.000
43.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-19	2009-10	87.870
44.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-12	2009-10	50.000
45.	सेंवढ़ा	गुमानपुरा	पी-1	2009-10	64.000
46.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2009-10	64.000
47.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-23	2009-10	64.000
48.	सेंवढ़ा	डांगडिरोली	पी-25	2009-10	64.000
49.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2009-10	64.000
50.	सेंवढ़ा	चिताई	पी-29	2009-10	64.000
51.	सेंवढ़ा	खमरोली	पी-27	2009-10	62.000
52.	गोराघाट	ओरीना	पी-105	2009-10	100.000
53.	गोराघाट	हिनोतिया	पी-102	2009-10	114.750
54.	गोराघाट	चौकी	पी-94	2009-10	69.750
55.	सेंवढ़ा	धोर्रा	33	2009-10	59.070
56.	सेंवढ़ा	टोड़ा पहाड़	34	2009-10	50.000
57.	सेंवढ़ा	बराबुजुर्ग	पी-37	2009-10	50.000
58.	सेंवढ़ा	रजौरा	43	2009-10	38.020
59.	सेंवढ़ा	बिलासपुर	40	2009-10	70.000
60.	सेंवढ़ा	गोविन्द नगर	41	2009-10	64.320
61.	दतिया	सिरोल	पी-56	2009-10	80.000
62.	दतिया	रेडा/झडिया	पी-51	2009-10	40.000
63.	दतिया	झिरकाबांग	पी-52	2009-10	40.000
64.	दतिया	बिडनिया	पी-53	2009-10	40.000
65.	दतिया	घरावा	पी-72	2009-10	40.000
66.	दतिया	चक्रबहादुरपुर	पी-49	2009-10	40.000
67.	दतिया	सेरसा	पी-71	2009-10	50.000
68.	दतिया	जिगना	पी-68	2009-10	45.000
69.	दतिया	चौपरा	पी-64	2009-10	48.000
70.	दतिया	बाजनी	पी-61	2009-10	48.000
71.	दतिया	दुर्गापुर	पी-78	2009-10	45.000
72.	दतिया	चक्रामसागर	पी-57	2009-10	42.975

1	2	3	4	5	6
					(हैक्टर में)
73.	दतिया	गुजर्रा	पी-74	2009-10	43.925
74.	गोराघाट	निचरौली	पी-113	2009-10	50.000
75.	गोराघाट	बड़ौनी	पी-109	2009-10	85.250
76.	दतिया	उदगुवा	पी-81	2009-10	104.690
77.	दतिया	सलैयापवार	पी-79	2009-10	82.680
78.	दतिया	डांगकरैरा	पी-76	2009-10	62.000
79.	दतिया	चौपरा	पी-67	2009-10	64.530
80.	दतिया	मुड़रा	पी-92	2009-10	37.500
81.	गोराघाट	बड़ौनी	पी-109	2009-10	153.300
82.	दतिया	रेड़ा झड़िया	पी-51	2009-10	15.000
83.	दतिया	बाजनी	पी-61	2009-10	15.000
84.	सेंवढ़ा		आर-40	2009-10	15.000
85.	सेंवढ़ा	जरा	पी-5	2010-11	113.180
86.	सेंवढ़ा	डोंगरपुर	पी-28	2010-11	188.560
87.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-9	2010-11	180.900
88.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-2	2010-11	92.470
89.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-17	2010-11	137.920
90.	सेंवढ़ा	डिमरपुरा	पी-22	2010-11	140.670
91.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2010-11	121.880
92.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-19	2010-11	100.350
93.	दतिया	जिगना	पी-68	2010-11	116.720
94.	दतिया	उदगुवा	पी-81	2010-11	161.770
95.	दतिया	मुड़रा	पी-87	2010-11	22.050
96.	गोराघाट	बड़ौनी	पी-111	2010-11	. .
97.	दतिया	धोर्रा	33	2010-11	115.660
98.	दतिया	विलासपुर	40	2010-11	98.550
99.	दतिया	धनोली	44	2010-11	94.700
100.	दतिया	चक्र रामसागर	पी-57	2010-11	160.160
101.	दतिया	बाजनी	पी-61	2010-11	113.180
102.	दतिया	घरावा	पी-72	2010-11	57.380
103.	दतिया	रेडा/झडिया	पी-50	2010-11	40.000
104.	गोराघाट	गोराकोटरा	95	2010-11	63.900
105.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-102	2010-11	99.890

1	2	3	4	5	6
					(हैक्टर में)
106.	गोराघाट	ओरीना	पी-105	2010-11	124.200
107.	गोराघाट	हिनोतिया	पी-100	2010-11	10.000
108.	दतिया	भूता	पी-52	2010-11	20.000
109.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-24	2010-11	10.000
110.	सेंवढ़ा	पनकुँआ	पी-30	2010-11	10.000
111.	सेंवढ़ा	पनकुँआ	पी-29	2010-11	25.000
112.	गोराघाट	डंगराकुँआ	पी-98, I	2010-11	25.000
113.	गोराघाट	डंगराकुँआ	पी-98, II	2010-11	25.000
114.	गोराघाट	डंगराकुँआ	पी-98, III	2010-11	25.000
115.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2010-11	35.000
116.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-02	2010-11	50.000
117.	दतिया	उदगवां	पी-80	2010-11	51.440
118.	सेंवढ़ा	जरा	पी-5	2011-12	168.750
119.	सेंवढ़ा	डोगरपुर	पी-28	2011-12	127.570
120.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-15	2011-12	205.430
121.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-2	2011-12	118.580
122.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2011-12	95.620
123.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2011-12	120.900
124.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2011-12	135.450
125.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2011-12	128.250
126.	दतिया	जिगना	पी-68	2011-12	118.850
127.	दतिया	उदगुवां	पी-82	2011-12	83.930
128.	दतिया	मुड़रा	पी-88	2011-12	58.500
129.	दतिया	पहाड़	34	2011-12	138.150
130.	गोराघाट	बिलासपुर	40	2011-12	156.370
131.	गोराघाट	धनोली	44	2011-12	133.420
132.	दतिया	चक्र रामसागर	पी-57	2011-12	108.460
133.	दतिया	बाजनी	पी-63	2011-12	89.340
134.	दतिया	घरावा	पी-72	2011-12	131.620
135.	दतिया	रेडा/झडिया	पी-51	2011-12	132.530

1	2	3	4	5	6
					(हैक्टर में)
136.	गोराघाट	गोराघाट	96/97	2011-12	84.370
137.	गोराघाट	हिनोतिया	पी-101	2011-12	120.600
138.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2011-12	105.540
139.	दतिया	रिछरा	पी-54	2011-12	50.00
140.	दतिया	सिरोल	पी-55	2011-12	50.00
141.	सेंवढ़ा	धनोली	पी-46	2011-12	50.00
142.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2011-12	50.00
143.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-18	2011-12	50.00
144.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-15	2011-12	50.00
145.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-9	2011-12	156.00
146.	दतिया	गुजर्रा	पी-73-74	2011-12	240.00
147.	दतिया	उदगुवां	पी-82-83	2011-12	300.00
148.	गोराघाट	बड़ोनी	पी-111	2011-12	300.00
149.	गोराघाट	निचरोली	पी-113	2011-12	300.00
150.	दतिया	चौपरा	पी-64	2011-12	15.00
151.	गोराघाट	हिनोतिया	पी-103	2011-12	20.00
152.	सेंवढ़ा	मरसेनी	आर-35	2011-12	15.00
153.	सेंवढ़ा	ग्राम डोंगरपुर	सर्वे क्र. 61	2011-12	0.915
154.	सेंवढ़ा	ग्यारा	पी-6	2012-13	161.100
155.	सेंवढ़ा	डोंगरपुर	पी-28	2012-13	133.870
156.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-15	2012-13	165.600
157.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-3	2012-13	116.940
158.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2012-13	0.000
159.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2012-13	120.600
160.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2012-13	141.300
161.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2012-13	127.120
162.	दतिया	डांग करैरा	पी-76	2012-13	145.230
163.	दतिया	उदगुवां	पी-82	2012-13	134.550
164.	दतिया	मुड़रा	पी-89	2012-13	25.200

1	2	3	4	5	6
165.	गोराघाट	निचरोली	पी-112	2012-13	183.150
166.	दतिया	पहाड़	34	2012-13	197.500
167.	गोराघाट	गोविन्दनगर	41	2012-13	102.660
168.	गोराघाट	रजौरा	45	2012-13	138.820
169.	दतिया	चक्रामसागर	पी-57	2012-13	106.650
170.	दतिया	चौपरा	पी-64	2012-13	104.950
171.	दतिया	गुजर्रा	पी-73	2012-13	173.470
172.	दतिया	झिरकाबाग	पी-51	2012-13	139.270
173.	गोराघाट	डंगराकुंआ	98	2012-13	120.150
174.	गोराघाट	हिनोतिया	पी-101	2012-13	105.970
175.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2012-13	107.100
176.	गोराघाट	गोराकोटरा	आर-93	2012-13	150.00
177.	सेंवढ़ा	गोविन्दनगर	आर-41	2012-13	100.00
178.	दतिया	झिरकाबाग	पी-51	2012-13	100.00
179.	दतिया	रिछरा	पी-54	2012-13	100.00
180.	दतिया	सेरसा	पी-71	2012-13	50.00
181.	दतिया	लरायटा	पी-75	2012-13	50.00
182.	दतिया	सलैया पवार	आर-79	2012-13	150.00
183.	सेंवढ़ा	ग्राम डोंगरपुर	सर्वे क्र.83	2012-13	2.016

चैक सिंह निनामा,
वनमण्डलाधिकारी.

(482)

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भिण्ड

दिनांक 28 सितम्बर, 2012

वर्तमान भूमि परियोजना नक्शे के अंतिम प्रकाशन की सूचना

गोहद निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 24-8-2012 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की ,उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति/सुझाव उपांतरण प्रस्तावित किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अतः उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम कीधार-15 की उप-धारा (3) के अधीन एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 से 26 अक्टूबर, 2012 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालय में उपलब्ध रहेगी.

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर.
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भिण्ड.
3. नगरपालिका,गोहद.

वी. के शर्मा,
संयुक्त संचालक.
वास्ते---सहायक संचालक.

(483)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता:—136/टाईप/3, बी-सेक्टर, पिपलानी, भोपाल.

क्र./परि./2012/3331.—दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./461, दिनांक 3 सितम्बर, 1985(जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में संस्था की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10 में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर निम्न अनियमितताएं पाई गई हैं:—

1. संस्था का पंजीयन क्र./डी.आर.बी./461, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 है. संस्था के पंजीयन को लगभग 27 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तथापि संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 व नियम 1962 में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है. संस्था सदस्य संख्या 83 है, किन्तु संस्था द्वारा अपने सदस्यों को भू-खण्ड उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रयास नहीं किया है. संस्था द्वारा कोई भूमि क्रय नहीं की गई है, जो कि उसके पंजीयन के उद्देश्यों के विपरीत है.

2. संस्था की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10 के अवलोकन से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि संस्था के स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च, 2010 के अनुसार संस्था की संचित हानि 697261.00 रु. है. जबकि संस्था की जमा अंशपूंजी मात्र 33,500/- रु.है. सदस्यों की जमा अंशपूंजी के अनुपात में लगभग 21 गुना संचित हानि हो चुकी है, जो कि स्पष्ट करता है, कि संस्था द्वारा अपनी उपविधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

3. संस्था में स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च, 2010 अनुसार अमानत खाता अन्तर्गत श्री ए. एस. सूदन के रु. 9,70,700/- एवं श्री बलविन्दर पालसिंह के 80,500/- जमा है. श्री ए. एस. सूदन एवं श्री बलविन्दर पालसिंह के बीच में पिता पुत्र का रिश्ता है. श्री ए. एस. सूदन वर्तमान में संस्था अध्यक्ष हैं, अत: ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा संस्था पर पारिवारिक नियंत्रण किया जाकर अन्य सदस्यों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं. आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को कार्यालय, उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 सितम्बर 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(484)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 24 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/54, सीहोर, दिनांक 18 जनवरी, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थूनाखुर्द (चांदबड़) पंजीयन क्रमांक 1463, दिनांक 26 नवम्बर, 2009 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था के परिसमापक श्री एम. के. खत्री, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: एतद्द्वारा मैं, अशोक शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थूनाखुर्द (चांदबड़) का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(485)

सीहोर, दिनांक 24 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1457, सीहोर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पगारिया चोर पंजीयन क्रमांक 825, दिनांक 11 अक्टूबर, 1983 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था के परिसमापक श्री आर.के. जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: एतद्द्वारा मैं, अशोक शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पगारिया चोर का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अशोक शुक्ला,
उप-पंजीयक.

(485-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सह. विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियां, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 12 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./10/1158.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/1159, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है : —

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	गजानन फल-फूल साग-भाजी स. संस्था मर्या., मंगोनाखुर्द	1530/09-05-2006	1159/28-11-2011
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंगोनाखुर्द	1191/10-11-1987	1159/28-11-2011
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरव्हा	1531/23-05-2006	1159/28-11-2011

1	2	3	4
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बधोड़ा	1086/29-03-1984	1159/28-11-2011
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अर्जुनवाड़ी	1525/16-01-2006	1159/28-11-2011
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या,. गौग्राम चंदोराकला	1440/09-03-2001	1159/28-11-2011
7.	जय दुर्गा ईंट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बिसनूर	202/03-02-1990	1159/28-11-2011
8.	डा. अम्बेडकर झाडू-चटाई उद्योग स. संस्था मर्या., जौलखेड़ा	655/10-11-1997	1159/28-11-2011
9.	नीलम कवेलू उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़	1405/18-05-1999	1159/28-11-2011
10.	माँ ताप्ती संग्रहण उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,कान्हाखापा	1465/30-11-2002	1159/28-11-2011
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्र. पट्टन	1103/27-09-1984	1159/28-11-2011
12.	जिला किसान आदि. मजदूर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बैतूल, मुख्यालय मुलताई.	1461/06-07-2002	1159/28-11-2011

उपरोक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा-70(1)को उपयोग में लाते हुवे मैं, एस. के. बर्थे परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सहकारी समितियां, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

एस. के. बर्थे,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(460)

बैतूल, दिनांक 12 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./10/1159.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/1159, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी समितिओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है : —

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	रायल ईंट कवेलू उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अमनी	1472/30-05-2003	1160/28-11-2011
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रायआमला	1076/28-10-1983	1160/28-11-2011
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अम्बाड़ा	1436/16-01-2001	1160/28-11-2011
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरीखुर्द	1430/30-11-2000	1160/28-11-2011
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतेड़ाखुर्द	1427/31-11-2000	1160/28-11-2011
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गौग्राम तोरणवाड़ा	1433/03-11-2000	1160/28-11-2011
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गौग्राम माहोली	1428/03-11-2000	1160/28-11-2011
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या,. गौग्राम परसोड़ी (आमला)	1429/03-11-2000	1160/28-11-2011
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या,. गौग्राम रानिडोंगरी	1489/25-11-2004	1160/28-11-2011

1	2	3	4
10.	मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,बरसाली	1389/17-11-1998	1160/28-11-2011
11.	विश्वकर्मा आयरन स्टील सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	705/20-03-1981	1160/28-11-2011
12.	महिला दुर्गा साख सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1535/25-07-2006	1160/28-11-2011
13.	बारहलिंग बहु. सहकारी संस्था मर्या.,बैतूल	1563/17-07-2007	1160/28-11-2011
14.	आशा महिला गृह उ. सहकारी संस्था मर्या., सदर बैतूल	1443/27-11-2006	1160/28-11-2011
15.	बैतूल को-आप. प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	152/14-08-1989	1160/28-11-2011

उपरोक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड-स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम 1960 की धारा-70(1)को उपयोग में लाते हुए मैं, राजेश वडयालकर, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सहकारी समितियां, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

राजेश वडयालकर,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(460-A)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

अध्यक्ष/सचिव :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र/दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हरसोल, तहसील मल्हारगढ़	603/4-1-1991
2.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गंगाखेड़ी, तहसील, सीतामऊ	852/24-7-2004
3.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., लसुडिया, तहसील गरौठ	855/5-10-2009
4.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नौगांव तहसील मन्दसौर	711/24-12-1993
5.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., अफजलपुर, तहसील मन्दसौर	868/20-7-2006
6.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मुदियाना, तहसील मन्दसौर	869/20-7-2006
7.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बहिया पार्श्वनाथ तहसील मल्हारगढ़	792/6-1-1996

प्रभारी प्रबन्धक (क्षे. स.) दुग्ध संयंत्र मन्दसौर ने अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/830/क्षे.स./2012-13 दिनांक 22 अगस्त, 2012 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि आपकी दुग्ध सहकारी संस्था उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार दुग्ध व्यवसाय नहीं करते हुए अकार्यशील होकर बन्द है. यह भी अवगत कराया गया है कि दुग्ध उत्पादकों संस्था के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है. प्रभारी प्रबन्धक मन्दसौर द्वारा आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र./

एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए. मैं भारतसिंह चौहान उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ. कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 21 सितम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर,2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(462)

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., झलारा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 448, दिनांक 19 अक्टूबर, 1987 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/331, दिनांक 03 मई, 2007 एवं क्रमांक 40/परिसमापन/09, दिनांक 06 जनवरी, 2010 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. जैन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., झलारा, जिला मन्दसौर के परिसमापक श्री आर. के. जैन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है. अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., झलारा, जिला मन्दसौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/331, दिनांक 03 मई, 2007 को निरस्त करते हुए संस्था को पुनर्जीवित करता हूं तथा संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिये नामांकित की जाती है. कमेटी निम्नानुसार है :—

1. श्री कचरूलाल पिता भुवानीराम जी, अध्यक्ष
2. श्री उदयसिंह पिता केसरसिंह जी, सदस्य
3. श्री देवीलाल पिता नारायण जी, सदस्य
4. श्री आर. के. जैन, व.स.नि., सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भारत सिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(462-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 30 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) व 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1991/1074, विदिशा, दिनांक 10 मई, 1991 से हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बरवाई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था के सदस्यों के हित में है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-60 (4) की शक्ति का प्रयोग करते हुए हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बरवाई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही.डी.एस./275, दिनांक 03 मई, 1986 को पुनर्जीवित करता हूं.

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थाई रूप से नामांकित की जाती है—

1.	श्री पन्नालाल	अध्यक्ष
2.	श्री भाग सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती अंगूरी बाई	संचालक
4.	श्रीमती लक्ष्मी बाई	संचालक
5.	श्री प्रभुलाल	संचालक
6.	श्री मनोहर	संचालक
7.	श्री नेतराम	संचालक

संस्था के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह तीन माह के अंदर निर्वाचन सम्पन्न कराये.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(463)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/828.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/78, दिनांक 23 जनवरी, 2012 के द्वारा अटल सरोवर बांध निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, डिगरित, पंजीयन क्रमांक 1858, दिनांक 11 जुलाई, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. पारे, उप-अंकेक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किये जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापन द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था अटल सरोवर बांध निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, डिगरित, पंजीयन क्रमांक 1858, दिनांक 11 जुलाई, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(464)

खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/829.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/78, दिनांक 23 जनवरी, 2012 के द्वारा श्रम शक्ति कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, पंथिया, पंजीयन क्रमांक 1663, दिनांक 20 मई, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पुनासा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किये जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापन द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था उक्त संस्था श्रम शक्ति कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, पंथिया, पंजीयन क्रमांक 1663, दिनांक 20 मई, 1999 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(464-A)

खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/830.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/78, दिनांक 23 जनवरी, 2012 के द्वारा मेकल कन्या रेत उत्खनन सहकारी समिति मर्यादित, बिल्लौदाखुर्द पंजीयन क्रमांक 1872, दिनांक 8 नवम्बर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पुनासा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किये जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापन द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था मेकल कन्या रेत उत्खनन सहकारी समिति मर्यादित, बिल्लौदाखुर्द, पंजीयन क्रमांक 1872, दिनांक 8 नवम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(464-B)

खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/831.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/79, दिनांक 23 जनवरी, 2012 के द्वारा रविदास कामगारी सहकारी समिति मर्यादित, पनथिया पंजीयन क्रमांक 1600, दिनांक 6 नवम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पुनासा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किये जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापन द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था उक्त संस्था रविदास कामगारी सहकारी समिति मर्यादित, पनथिया पंजीयन क्रमांक 1600, दिनांक 6 नवम्बर, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(464-C)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 01 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16 (3) एवं 16 (10) के अन्तर्गत]

क्र./साख/2010/931.— मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्यादित, इन्दौर (पंजीयन क्रमांक जे.आर./आय.एन.डी./99/15, दिनांक 26 जून,1999) के संचालक मंडल के प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 25 फरवरी,2012 एवं बैंक की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27 फरवरी, 2012 के अनुसार बैंक का विलय (मर्जर) शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर (मध्यप्रदेश) में किए जाने का संकल्प सर्वानुमति से पारित किया जाकर, उक्त निर्णय के क्रियान्वयन में, बैंक द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2012 को शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर (उत्तरप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक/एम.एस.सी.एस./सी.आर./365/2010, दिनांक 14 सितम्बर,2010 में विलय होने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था. बैंक के प्रस्ताव पर, शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर द्वारा बैंक के दायित्व एवं सम्पत्ति का अवलोकन एवं परीक्षण कर, मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्यादित, इन्दौर के विलय संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर, आगामी कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश एवं केन्द्रीय निबंधक, सहकारी संस्थाओं से अनुमति प्राप्त कर, मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्यादित, इन्दौर के नियमानुसार विलय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति चाही गयी. भारतीय रिजर्व बैंक, शहरी बैंकिंग विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, वरली मुंबई द्वारा उनके पत्र क्रमांक/यबीडी/सीओमर्जर/273/09-16-901/2012-13, दिनांक 10 जुलाई, 2012 से, मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्यादित, इन्दौर एवं शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर के सामूहिक प्रस्ताव दिनांक 5 मार्च 2012 को मान्य करते हुए विलय (मर्जर) की वांछित अनुमति प्रदान की गई.

2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्यादित, इन्दौर के शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर (उ. प्र.) में विलय की स्वीकृति एवं कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/नागरिक बैंक/2012/368, दिनांक 31 अगस्त 2012 द्वारा मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्या., इन्दौर का शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर के प्रस्ताव अनुसार विलय की दिनांक 1 सितम्बर, 2012 पर यथोचित आदेश तथा मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्ती का आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है. तदनुसार मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्यादित, इन्दौर के संचालक मण्डल/वार्षिक साधारण सभा के पारित निर्णय अनुसार बैंक द्वारा विलय (मर्जर) संबंधी निर्णय दिनांक 27 फरवरी, 2012 को लिया गया है और इस हेतु शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर में विलय (मर्जर) संबंधी सहमति भी व्यक्त की गयी है.

3. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के उपरोक्त पत्र/निर्देश के पालन में, मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, इन्दौर का विलय (मर्जर) शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर (उ. प्र.) में बैंक के सदस्यों एवं अमानतदारों के व्यापक हित में होने से मैं, सलिल कुमार कटारे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16 (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियां, जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए, मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्यादित, इन्दौर के दिनांक 1 सितम्बर, 2012 की स्थिति पर, समस्त देयताओं एवं सम्पत्तियों का

विलय शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर (उ. प्र.) में किया जाना आदेशित करता हूँ. बैंक की चल-अचल सम्पत्ति, समस्त सम्पत्तियों, देयताओं, अभिलेखों, दायित्वों, इमारत, वाहन व अन्य बैंक खातों आदि का हस्तांतरण, शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर (उ. प्र.) के पत्र क्रमांक 229, दिनांक 31 अगस्त, 2012 से इस हेतु अधिकृत अधिकारी श्री गौरव कुमार गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक को किए जाने हेतु उल्लेखित किया जाने से श्री गुप्ता को इस हेतु आदेशित किया जाता है.

4. इस आदेश से मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, इन्दौर का विलय शिवालिक मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सहारनपुर में हो गया है. अतः मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्यादित, इन्दौर वर्तमान में अस्तित्व में नहीं रह गया है. इस प्रकार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16 (10) के अन्तर्गत, मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक मर्यादित, इन्दौर (पंजीयन क्रमांक जे.आर./आयएनडी/99/15, दिनांक 16 जून, 1999) का पंजीयन आज दिनांक 1 सितम्बर, 2012 से रद्द (निरस्त) कर दिया गया, समझा जावेगा. एतदर्थ तत्संबंधी प्राप्त वैधानिक शक्तियों के प्रयोजनपूर्वक मैं, सलिल कुमार कटारे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग "मालवा कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बैंक, इन्दौर" का पंजीयन रद्द (निरस्त) करता हूँ.

5. यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अन्तर्गत जारी किया गया, जो दिनांक 1 सितम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा.

सलिल कुमार कटारे,
संयुक्त पंजीयक.

(465)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

दिनांक 4 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू/2012.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 577, 572, 578, दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्र. व दिनांक
1.	लेबर कान्ट्रेक्ट सह. समिति मर्या., सतना	613/23-1-1965	577/10-5-2012
2.	महिला बहु. सह. समिति मर्या., खम्हरिया तिवरियान	313/29-6-1999	572/10-5-2012
3.	कालिका क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., खम्हरिया	546/9-4-2008	578/10-5-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

गेहचन्द्र पटेल,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(466)

दिनांक 14 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र..... दिनांक..... द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं

को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्र. व दिनांक
1.	प्रिय दर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., पटिहट	462/16-7-2003	589/11-5-2012
2.	हरिजन आदिवासी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., रामपुरपाठा	249/19-4-1996	569/10-5-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(467)

दिनांक 13 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 1109, दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्र. व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., पोड़ी वि. ख. मैहर, जिला सतना.	387/2-5-2002	1109/5-9-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

नरेन्द्र सिंह,

(467-A) परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./12/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	संजय शिक्षक गृह निर्माण सह. समिति मर्या., सतना	621/8-9-1981	562/10-5-2012
2.	जीवन ज्योति गृह निर्माण सह. समिति मर्या., सतना	592/22-12-1975	563/10-5-2012
3.	ओम गृह निर्माण सह. समिति मर्या., सतना	620/8-9-1991	564/10-5-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

ठाकुर प्रसाद,

(468) वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

दिनांक 10 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./12/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., प्रेमनगर, सतना	532/26-4-2006	1117/5-9-2012
2.	कामदगिरि क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., कामता चित्रकूट	549/1-10-2008	1118/5-9-2012
3.	नूतन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना	634/18-12-1985	1119/5-9-2012
4.	पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना	337/13-8-2001	1120/5-9-2012
5.	गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना	4/12-01-1955	1121/5-9-2012
6.	हरिजन सिलाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., सतना	652/12-11-2009	1122/5-9-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एन. पी. शर्मा,

(469) वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक निरीक्षक, सहकारी समितियां, देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	आदिवासी-वनवासी बुनकर सह. संस्था मर्या., मालीपुरा	961/10-8-2001	1290/11-5-2012

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरान्त उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड-स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड-स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियाँ बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 3 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

कृष्णा पथराड़े,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(471)

कार्यालय परिसमापक, अंकिता पावरलुम बुनकर, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/1.— अंकिता पावरलुम बुनकर, सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 2087, दिनांक 27 फरवरी, 2008 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर, के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/55, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486)

कार्यालय परिसमापक, निमाड़ फल, साग-सब्जी, उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., अम्बाड़ा

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/1.— निमाड़ फल, साग-सब्जी, उत्पादक एवं क्रय-विक्रय, सहकारी संस्था मर्यादित, अम्बाड़ा, पंजीयन क्रमांक 1839, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर, के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/56, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486-A)

कार्यालय परिसमापक,नेपा फल, साग-सब्जी, उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., नेपानगर

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/1.— नेपा फल, साग-सब्जी, उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था, मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक 1834, दिनांक 17 अगस्त, 2001 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर, के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/54, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा

पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486-B)

कार्यालय परिसमापक, अडगांव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अडगांव

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/1.— अडगांव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., अडगांव, पंजीयन क्रमांक 1426, दिनांक 06 मई,1989 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर, के आदेश क्रमांक/परिसमापन/विधि/2012/52, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486-C)

कार्यालय परिसमापक, राजीव कामगार कारीगर, सहकारी संस्था, मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/1.— राजीव कामगार कारीगर, सहकारी संस्था, मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1578, दिनांक 27 मार्च, 1995 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/53, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

चन्द्रेश पटेल,

(486-D) परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक, अजन्ता कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

अजन्ता कुक्कुट पालन, सहकारी संस्था, मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1869, दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ जिला बुरहानपुर, के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/57, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(487)

कार्यालय परिसमापक, हीना महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

हीना महिला औद्योगिक, सहकारी संस्था, मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 454, दिनांक 23 फरवरी, 1994 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर, के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/57, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(487-A)

कार्यालय परिसमापक, इंदिरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुकईथड

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

इंदिरा दुग्ध उत्पादक, सहकारी संस्था, मर्या., तुकईथड , पंजीयन क्रमांक 1571, दिनांक 31 जनवरी, 1995 है को उप/सहायक पंजीयक,

सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/57, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा--70 (1) के अंतर्गत चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486-B)

कार्यालय परिसमापक, निमाड़ फल, साग-सब्जी उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., अम्बाडा

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

निमाड़ फल, साग-सब्जी, उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., अम्बाडा, पंजीयन क्रमांक 1839, दिनांक ..... है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/57, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा--69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा--70 (1) के अंतर्गत चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

चन्द्रेश जोशी,
परिसमापक.

(487-C)

कार्यालय परिसमापक, दुर्गा पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

दुर्गा पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1167, दिनांक 16 जनवरी, 1976 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर, के आदेश क्रमांक/विधि/34, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा--69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा--70 (1) के अंतर्गत आर. सी. सेन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अतः रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(488)

कार्यालय परिसमापक, दत्त पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

दत्त पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1002, दिनांक 3 सितम्बर, 1971 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/विधि/32, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत आर. सी. सेन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अतः रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(488-A)

कार्यालय परिसमापक, कमल पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

कमल पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 179, दिनांक 31 मार्च, 1979 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/विधि/33, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत आर. सी. सेन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण

के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(488-B)

कार्यालय परिसमापक, महेश पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

महेश पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1341, दिनांक 5 जनवरी, 1985 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/विधि/35, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत आर. सी. सेन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(488-C)

कार्यालय परिसमापक, भोयटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भोयटा

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

भोयटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भोयटा, पंजीयन क्रमांक 1372, दिनांक 5 मार्च, 1986 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/विधि/36, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत आर. सी. सेन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा

पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. सी. सेन,
परिसमापक.

(488-D)

कार्यालय परिसमापक, गायत्री पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/क्यू.-1.—गायत्री पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 323, दिनांक 7 दिसम्बर, 1991 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/विधि/2012/37, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत सी. एस. जूनागड़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(489)

कार्यालय परिसमापक, हिमालय पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि. /2012/क्यू.-2.—हिमालय पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 18 मई, 1989 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/38, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत सी. एस. जूनागड़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(489-A)

कार्यालय परिसमापक, मयूर पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/क्यू.-3.—मयूर पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1125, दिनांक 12 फरवरी, 1974 है, को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/39, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत सी. एस. जूनागड़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(489-B)

कार्यालय परिसमापक,जागृत महिला पेपरकोड सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/क्यू.-4.—जागृत महिला पेपरकोड सहकारी संस्था, मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1604, दिनांक 2 दिसम्बर, 1995 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/40, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत सी. एस. जूनागड़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(489-C)

कार्यालय परिसमापक, सिरसौदा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सिरसौदा

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/क्यू.-5.—सिरसौदा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरसौदा, पंजीयन क्रमांक 1805, दिनांक 30 अक्टूबर, 2007

है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/41, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत सी. एस. जूनागड़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अतः रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(489-D)

कार्यालय परिसमापक, वर्षा महिला प्रा. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परिसमापक/2012/क्यू.-6.—वर्षा महिला प्रा. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर पंजीयन क्रमांक 1662, दिनांक 28 फरवरी, 1998 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/527, दिनांक 25 जुलाई, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत सी. एस. जूनागड़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अतः रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. एस. जूनागड़े,

(489-E) परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक, सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम- 57 (ग) के अंतर्गत]

सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, सहकारी संस्था, मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1232, दिनांक 11 मार्च, 1981 है को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/66, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत एस. एन. टाले, उप-अंकेक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम- 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490)

कार्यालय परिसमापक, बुरहानपुर कामगार कारीगर, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम- 57 (ग) के अंतर्गत]

बुरहानपुर कामगार कारीगर, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक ....., दिनांक ....., है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/67, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत एस. एन. टाले, उप-अंकेक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम- 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490-A)

कार्यालय परिसमापक, आदिवासी किसान साख, सहकारी संस्था मर्या., धुलकोट

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम- 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/01.— आदिवासी किसान साख, सहकारी संस्था मर्या., धुलकोट, पंजीयन क्रमांक 1877, दिनांक 03 मार्च, 2003 है को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/65, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत एस. एन. टाले, उप-अंकेक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम- 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490-B)

कार्यालय परिसमापक, अम्बा दुग्ध उत्पादक, सहकारी संस्था मर्या., अम्बा

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम- 57 (ग) के अंतर्गत]

अम्बा दुग्ध उत्पादक, सहकारी संस्था मर्या., अम्बा, पंजीयन क्रमांक1897, दिनांक 09 जनवरी, 2004 है को उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/68, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत एस. एन. टाले,उप-अंकेक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम- 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एन. टाले,
परिसमापक.

(490-C)

कार्यालय परिसमापक, आकाश पावरलुम बुनकर, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम- 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/01.— आकाश पावरलुम बुनकर, सहकारी संस्था, मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 632, दिनांक 24 फरवरी, 1997 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/42, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत पांडुरंग सोनवणे, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम- 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की

लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(491)

कार्यालय परिसमापक, ब्रम्हशक्ती पावरलुम बुनकर, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/01.— ब्रम्हशक्ती पावरलुम बुनकर, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1391, दिनांक 16 मार्च, 1988 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/44, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत पांडुरंग सोनवणे, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(491-A)

कार्यालय परिसमापक, नर्मदा पावरलुम बुनकर, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/01.—नर्मदा पावरलुम बुनकर, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1349, दिनांक 13 सितम्बर, 1985 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/43, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत पांडुरंग सोनवणे, सहकारी निरीक्षक जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(491-B)

कार्यालय परिसमापक,कुशाभाऊ ठाकरे सह. सूत मिल, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/01.— कुशाभाऊ ठाकरे सह. सूत मिल, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1906, दिनांक 19 फरवरी, 2004 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/46, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत पांडुरंग सोनवणे, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(491-C)

कार्यालय परिसमापक,नवज्योती ग्रामीण पशुपालन, सहकारी संस्था, मर्या., पातोंडा

बुरहानपुर,दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/01.— नवज्योती ग्रामीण पशुपालन, सहकारी संस्था मर्या., पातोंडा, पंजीयन क्रमांक 1900, दिनांक 05 फरवरी, 2004 है को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/45, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत पांडुरंग सोनवणे, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयप्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मयप्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पांडुरंग सोनवणे,
परिसमापक.

(491-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

तिलहन सहकारी समिति मर्या.,शाहगढ़

द्वारा : श्री गोवरधन, अध्यक्ष,

तिलहन सहकारी समिति मर्या.,शाहगढ़,

पोस्ट—....., विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर.

तिलहन सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 588, दिनांक 03 दिसम्बर, 1993 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.--

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., अगरिया

द्वारा : ....., अध्यक्ष,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., अगरिया

पोस्ट—....., विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर.

तिलहन सहकारी समिति मर्या., अगरिया, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 455, दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र

क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-A)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटरा, सागर

द्वारा : श्रीमती हमीदा बेगम, अध्यक्ष,

ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटरा, सागर

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटरा, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-B)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या.,खिमलासा

द्वारा : ....., अध्यक्ष,

ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या.,खिमलासा,

पोस्ट—खिमलासा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर.

ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या.,खिमलासा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1220, दिनांक 19 मार्च, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-C)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

ऊँ सांईराम ईधन सहकारी समिति मर्या.,सदर केंट 01.

द्वारा : श्री अभिषेक मुखारया, अध्यक्ष,

ऊँ सांईराम ईधन सहकारी समिति मर्या.,सदर

पोस्ट—....., विकासखण्ड ....., जिला सागर.

ऊँ सांईराम ईधन सहकारी समिति मर्या.,सदर विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 25 मई, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु.सहकारी समिति मर्या., आसौली

द्वारा : ममता बाई, अध्यक्ष,

महिला बहु.सहकारी समिति मर्या., आसौली,

पोस्ट—. . . . . ,विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर.

महिला बहु.सहकारी समिति मर्या., आसौली,विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 16 अगस्त, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-E)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु.सहकारी समिति मर्या., वाहरपुर.

द्वारा : श्रीमती अंगूरीबाई, अध्यक्ष,

महिला बहु.सहकारी समिति मर्या., वाहरपुर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड खुरई, जिला सागर.

महिला बहु.सहकारी समिति मर्या., वाहरपुर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1212,दिनांक 02 अगस्त, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-F)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

आदिवासी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी.

द्वारा : अंगूरी बाई, अध्यक्ष,

आदिवासी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी,

पोस्ट—शाहगढ़, विकासखण्ड रहली, जिला सागर.

आदिवासी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1226, दिनांक 30 जून, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-G)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., महादेव खेड़ी.

द्वारा : ऊर्मिला पेशराज, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., महादेव खेड़ी,

पोस्ट—....., विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., महादेव खेड़ी, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 02 सितम्बर, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-H)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बूढ़ाखेरा.

द्वारा : श्रीमती ग्याबाई, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बूढ़ाखेरा,

पोस्ट—सहावन, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बूढ़ाखेरा, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 804, दिनांक 22 अप्रैल, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-I)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्म. अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., बीना.

द्वारा : पी. एल. श्रीवास्तव, अध्यक्ष,

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्म. अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., बीना,

पोस्ट—....., विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्म. अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 783, दिनांक 02 अगस्त, 1981 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-J)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

ग्रामीण विकास अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., केसली.

द्वारा : गोविंदपुरी, अध्यक्ष,

ग्रामीण विकास अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., केसली,

पोस्ट—....., विकासखण्ड केसली, जिला सागर.

ग्रामीण विकास अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., केसली, विकासखण्ड केसली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 743, दिनांक 05 जनवरी, 1999 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-K)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

आजीवन आरोग्य सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा : ....., अध्यक्ष,

आजीवन आरोग्य सहकारी समिति मर्या., सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

आजीवन आरोग्य सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 139, दिनांक 02 सितम्बर, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-L)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी.

द्वारा : कु. मेघा दुबे, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी,

पोस्ट—कुड़ारी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 816, दिनांक 08 मई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-M)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

रानी दुर्गावती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भैंसा.

द्वारा : श्रीमती गीता, अध्यक्ष,

रानी दुर्गावती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भैंसा,

पोस्ट—भैंसा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

रानी दुर्गावती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भैंसा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 829, दिनांक 20 मई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-N)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

उमा शक्ति म. बहु. सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी.

द्वारा : श्रीमती गिरजा बाई, अध्यक्ष,

उमा शक्ति म. बहु. सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी,

पोस्ट—खेजरामाफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर.

उमा शक्ति म. बहु. सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-O)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सिलौधा.

द्वारा : श्रीमती रूपवती, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सिलौधा,

पोस्ट—सिलौधा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सिलौधा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1209, दिनांक 20 जुलाई, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-P)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कनऊ.

द्वारा : श्रीमती शीला ठाकुर, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कनऊ,

पोस्ट—सिलौधा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कनऊ, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 12 अगस्त, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-Q)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

माँ सिंगवाहिनी महिला विकास सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड, सागर.

द्वारा : संगीता नामदेव, अध्यक्ष,

माँ सिंगवाहिनी महिला विकास सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड, सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

माँ सिंगवाहिनी महिला विकास सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 959, दिनांक 28 फरवरी, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-R)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला विकास सहकारी समिति मर्या., तिली वार्ड, सागर.

द्वारा : श्रीमती विमला चौरसिया, अध्यक्ष,

महिला विकास सहकारी समिति मर्या., तिली वार्ड, सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

महिला विकास सहकारी समिति मर्या., तिली वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 15 फरवरी, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-S)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

गायत्री महिला विकास सहकारी समिति मर्या., पंतनगर.

द्वारा : ....., अध्यक्ष,

गायत्री महिला विकास सहकारी समिति मर्या., पंतनगर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

गायत्री महिला विकास सहकारी समिति मर्या., पंतनगर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1114, दिनांक 26 अप्रैल, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-T)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

भूतेश्वर महिला विकास सहकारी समिति मर्या., सागर (संत रविदास वार्ड).

द्वारा : उमा बाई यादव, अध्यक्ष,

भूतेश्वर महिला विकास सहकारी समिति मर्या., सागर (संत रविदास वार्ड),

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

भूतेश्वर महिला विकास सहकारी समिति मर्या., सागर (संत रविदास वार्ड), जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1154, दिनांक 08 सितम्बर, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-U)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

एम. ई. एस. कर्म. सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा : श्री विनय कुमार अध्यक्ष,

एम. ई. एस. कर्म. सहकारी समिति मर्या., सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

एम. ई. एस. कर्म. सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 356, दिनांक 05 दिसम्बर, 1981 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-V)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वरखेड़ा.

द्वारा : श्रीमती लीलाबाई, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वरखेड़ा,

पोस्ट—सेमराहाट, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वरखेड़ा, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 863, दिनांक 04 जुलाई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-W)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बदौना.

द्वारा : गीता रानी रजक, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बदौना,

पोस्ट—रजौआ, विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बदौना, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 853, दिनांक 27 जून, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-X)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महारानी लक्ष्मीबाई म. बहु. सहकारी समिति मर्या., मुहांसा.

द्वारा : संजना देवी, अध्यक्ष,

महारानी लक्ष्मीबाई म. बहु. सहकारी समिति मर्या., मुहांसा,

पोस्ट—देवल, विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

महारानी लक्ष्मीबाई म. बहु. सहकारी समिति मर्या., मुहांसा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1190, दिनांक 01 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(493-Y)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी.

द्वारा : श्रीमती आकिन्दी बाई, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी,

पोस्ट—विलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1192 दिनांक 13 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

एस. के. जैन,

(493-Z) सहायक पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर-2012-आश्विन 20, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 जून, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के जिलों में वर्षा हुई है जो निम्नानुसार है :—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील डबरा (ग्वालियर), दतिया (दतिया), शिवपुरी (शिवपुरी), लौण्डी, गौरीहार,छतरपुर, विजावर (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना (पन्ना), खुरई, सागर,रेहली, देवरी, गढ़कोटा (सागर), हटा, पथरिया, पटेरा (दमोह), मझगवां, नागौद, अमरपाटन, मैहर, (सतना), सिरमौर, थांदला, झाबुआ (झाबुआ) मऊगंज (रीवा), जैसिंहनगर, बुढ़ार, गोहाक (शहडोल), पुष्पराजगढ़, कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, चुरहट (सीधी), गरोठ (मंदसौर), चिचोली (बैतूल), पिपरिया, बनखेड़ी (होशंगाबाद), मझोली (जबलपुर), कटनी, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बड़बारा, बरही (कटनी), गाडरवाड़ा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव (नरसिंहपुर), नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, बिछुआ, मोहखेड़ा, हर्रई(छिन्दबाड़ा), सिवनी, केवलारी, बरघाट, कुरई, धनोरा, छपारा (सिवनी), लांजी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील पवई (पन्ना), केसली (सागर), बटियागढ़, तेन्दूखेड़ा (दमोह), रघुराजनगर, रामपुर-बघेलान, उचेहरा (सतना), हनुमना (रीवा), अनूपपुर (अनूपपुर), सिंहाबल, राणापुर, झाबुआ (सीधी), सीहोरा, जबलपुर (जबलपुर), रीठी (कटनी), तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, घुघरी (मण्डला), छिन्दबाड़ा, परासिया, जामई (छिन्दबाड़ा), बालाघाट, बैहर (बालाघाट), घंसौर (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील रामनगर (सतना), त्यौंथर (रीवा), जेतहरी (अनूपपुर), मण्डला (मण्डला), पांढुर्णा (छिन्दबाड़ा), आष्टा, इच्छाबर (सीहोर), मेघनगर (झाबुआ), बारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील शाहनगर (पन्ना), दमोह, जबेरा (दमोह), जैतपुर (शहडोल), पाटन,कुन्डम,

(जबलपुर), सोंसर, चौरई (छिन्दबाड़ा), में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर,दतिया, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, विदिशा, सीहोर, हरदा, जबलपुर, मण्डला, छिन्दबाड़ा तथा सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला खण्डवा, में फसल सोयाबीन व डिण्डौरी में मक्का, धान, सोयाबीन, राहर व दमोह, धार, राजगढ़, भोपाल, बैतूल, हरदा, जबलपुर, मण्डला, छिन्दबाड़ा, सिवनी, बालाघाट तथा बुरहानपुर में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, खरगौन, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, नरसिंहपुर तथा छिन्दबाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्राय: पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27 जून, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
***जिला मुरैना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	13.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	8.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
7. मकसूदनगढ़	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. मोहनगढ़	. .				
8. ओरछा	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. खरगापुर	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	12.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	6.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	4.2				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	4.0				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	11.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	23.4				
5. शाहनगर	86.4				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	3.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .				
4. सागर	3.9				
5. रेहली	15.3				
6. देवरी	16.1				
7. गढ़ाकोटा	1.8				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	22.0				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2.बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	7.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	26.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	67.4				
4. पथरिया	2.0				
5. जवेरा	141.0				
6. तेन्दूखेड़ा	30.4				
7. पटेरा	4.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	24.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	9.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	20.0				
4. नागौद	5.2				
5. उचेहरा	26.0				
6. अमरपाटन	5.2				
7. रामनगर	46.0				
8. मैहर	10.0				
9. बिरसिंहपुर	0.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	50.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	16.0		(2) . .	. .	
3. सेमरिया	0.0				
4. मऊगंज	10.0				
5. मनगवां	0.0				
6. हनुमना	34.3				
7. हजूर	0.0				
8. गुढ़	0.0				
9. रायपुरकर्चुलियान	0.0				
10. जबा	0.0				
11. नईगढ़ी	0.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	16.0				
4. जैतपुर	60.0				
5. बुढ़ार	3.0				
6. गोहाक	1.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. जैतहरी	47.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	18.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	15.0				
4. पुष्पराजगढ़	7.8				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	11.9		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	8.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	11.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	28.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	10.0				
6. रामपुरनैकिन	. .				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	5.2				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
***जिला नीमच :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. थांदला	3.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	46.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	9.4				
5. राणापुर	20.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद	8. . .
2. सोण्डवा	. .		(2) . .	. .	
3. अलीराजपुर	. .				
4. कट्ठीवाड़ा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. वरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. बानी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
7. पचोर	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	3.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	45.0				
4. जावर	. .				
5. इछावर	51.2				
6. नसरुल्लागंज	19.0				
7. बुधनी	18.0				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचौली	1.4				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आमला	. .				
8. आठनेर	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	5.6				
7. वनखेड़ी	3.6				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
4. हण्डिया	. .				
5. रहटगांव	. .				
6. सिराली	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	18.0	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	71.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	26.6				
4. मझौली	5.2				
5. कुण्डम	57.3				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	13.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	31.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	10.6				
5. ढीमरखेड़ा	15.5				
6. बरही	7.0				
7. बड़वारा	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. गाडरवारा	4.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	2.0				
4. गोटेगांव	8.0				
5. तेन्दूखेड़ा	19.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवास	29.7	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	29.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	23.8				
4. मण्डला	36.4				
5. घुघरी	34.4				
6. नारायणगंज	17.4				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मक्का, धान, सोयाबीन,	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	6.8	राहर की बोनी का कार्य	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	13.4	चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	22.4	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	11.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	23.4				
4. जामई (तामिया)	26 .8				
5. सोंसर	60.2				
6. पांढुर्णा	48.4				
7. अमरवाड़ा	9.2				
8. चौरई	55.6				
9. बिछुआ	4.0				
10. हर्रई	8.4				
11. मोहखेड़ा	11.6				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	3.2	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	13.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	16.7				
5. कुरई	3.3				
6. घंसौर	19.0				
7. धनोरा	10.0				
8. छपारा	5.2				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	28.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	9.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	33.0				
4. वारासिवनी	49.6				
5. कटंगी	5.0				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला मुरैना, सिंगरौली, नीमच, रतलाम, देवास, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(476)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.